महात्मा गाँधी की बेसिक शिक्षा की अवधारणा तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी उपादेयता

रश्मि श्रीवास्तव*

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था ने आकार लिया है उससे शिक्षा का संबंध वर्ग विशेष की उन्नति से जुड़ गया है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने वर्ग-भेद को बढ़ावा दिया है। भारत गाँवों का देश है, कृषि का देश है, हाथों की कलाकारी का देश है। बेहतर यही होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इन्हें भी अपने साथ ले कर चले, तो देश की हवाएँ विविध प्रकार की खुशबुओं से सराबोर हो सकेंगी। वातावरण सतरंगी हो सकेगा। सब साथ, मिले-जुले रूप में उन्नति कर सकेंगे। सबके हाथों में अक्षर-ज्ञान होगा, अंकों की जादूगरी होगी, किताबों की छुवन होगी और सबके पास अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने का हुनर होगा। इसमें रफ़्तार शायद धीमी हो, लेकिन न्याय होगा, अहिंसक और सर्वोदयी समाज का आकार होगा, खुशी होगी, अपनापन और भाईचारा होगा। यही बुनियादी शिक्षा का सार है और गाँधी जी की दिशा भी।

अपने-अपने घरों, अहातों, पार्क व घर के आस-पास खड़े छोटे-बड़े पेड़ों के बीच चिड़िया के घोंसले को देखें। यहाँ तो बड़ी महीन कारीगरी है। तिनके, पत्तों, कचरों से खोज निकाले गए धागों के तालमेल से इन घोंसलों में बड़ी महीन कारीगरी देखने को मिलती है। घोंसलों का आकार, उनकी पेड़ की टहनियों के बीच, पत्तों में छिप जाने की कलाकारी, घोंसलों की गहराई, उनमें मिलती गरमाहट, सब कुछ कितना व्यवस्थित, कितना वैज्ञानिक दिखता है। तो क्या ये नन्हीं चिड़ी, घने आकाश में बादलों के बीच किसी स्कूल में जाती है? क्या ये भी किसी शिक्षक से सीख कर इन घोंसलों को बना देती हैं? धरती के ढेरों खाद्य पदार्थों में अपने चूज़े के लिए उपयुक्त खाद्य सामग्री पहचान कर उसे ढूँढ लाती है? कुछ तो जादू है! ज़रूर इनका भी कोई अदृश्य स्कूल है जो हमें दिखता नहीं है।

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* (बी.एड) महिला विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ

ऐसा है क्या? वास्तविकता तो यही है कि न तो नन्हीं चिड़िया किसी स्कूल में पढ़ने जाती है, न किसी से सीखने। यह उसकी सृजनात्मकता है। यह उसकी शारीरिक मानसिक शक्ति की सीमाओं में किए गए श्रम का प्रतिफ़ल है। उसके पास न तो किताबों का ज्ञान है, न ही किसी का दिशानिर्देश। उसके पास है काम की स्वतंत्रता, क्रियात्मकता और रोक-टोक का न होना। अपनी इन्हीं ताकतों से वह रोज़ की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है। अपने परिवार का पोषण और उनका संरक्षण कर सकने में सक्षम है और हम मनुष्य साल-दर-साल कक्षा में बैठ, किताबों में लिखे उत्तर रटने, उन्हें उत्तर पुस्तिका में लिखकर कक्षा में पास हो जाने के बाद भी युवावस्था में अकसर ऐसा हुनर नहीं सीख पाते, जिससे अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

गाँधी जी की बेसिक शिक्षा, धरती पर जन्में जीव की इसी मूल प्रवृत्ति के साथ बालक और उसकी कक्षा के बीच का सह-संबंध है। कार्य की स्वतंत्रता और स्वाभाविकता से जुड़ाव ये दो ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो धरती के समस्त जीवों को जीवन जीने की ताकत देती हैं। हम ज़रा विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की अपनी कार्यशैली को देखें।

यहाँ तो हर घड़ी हम अपने बच्चों को यही बताते हैं कि ये करो, ये न करो। तो बात बने कैसे। निदेर्शों की डोर में बंधा बालक काम की स्वतंत्रता से रिक्त अपनी स्वाभाविकता खोकर सर्जना विहीन हो चुका है। उसके पास कक्षाओं को पास कर लेने के अंक पत्र हैं, मगर हुनर दिखाई नही देता है। गाँधी जी इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं, ''मैं बच्चों की शिक्षा का श्री गणेश उन्हें कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाकर और जिस क्षण से वह अपनी शिक्षा का आरम्भ करें उसी क्षण से उसे उत्पादन के योग्य बनाकर करूँगा। मेरा मत है कि इस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। अलबत्ता, प्रत्येक दस्तकारी आजकल की तरह निरे यांत्रिक ढंग से ना सिखाकर वैज्ञानिक तरीके पर सिखानी पड़ेगी, अर्थात् बालक को प्रत्येक क्रिया का क्यों और कैसे बताना होगा।''

बेसिक शिक्षा

बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए महात्मा गाँधी ने कहा था, ''इस तालीम की मंशा यह है कि गाँव के बच्चों को सुधार संवार कर उन्हें गाँव का आदर्श व्यक्ति बनाया जाए। इसकी योजना खासकर उन्हीं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।''[1] इस योजना की असल प्रेरणा भी गांव से ही मिली है।

''बुनियादी तालीम हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों को, फिर वे गाँवों के रहने वाले हों या शहरों के, हिन्दुस्तान के सभी श्रेष्ठ और स्थायी तत्वों के साथ जोड़ देती है। यह तालीम बालक के मन और शरीर दोनों का विकास करती है। बालकों को अपने वतन के साथ जोड़े रखती है, और उसे अपने देश के भविष्य का गौरवपूर्ण चित्र दिखाती तथा उस चित्र में देखे हुए भविष्य के हिन्दुस्तान का निर्माण करने में बालक या बालिका अपने स्कूल जाने के दिन से ही हाथ बटाने लगे, इसका इंतजाम करती है।''[2]

गाँधी जी ने अपनी इस योजना को वर्धा सम्मेलन में हमारे सामने रखा। यह सम्मेलन 22–23 अक्तूबर 1937 को वर्धा में जब मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती मनाई जाने वाली थी, आयोजित हुआ था। इसके आयोजक मुन्ना नारायण अग्रवाल थे। गाँधी जी ने उन्हें इस अवसर पर एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने का सुझाव दिया। सुझाव पर अमल करते हुए इस रजत जयंती समारोह में देश भर के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन (All India National Education Conference) का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गाँधी ने की। इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करते हुए कहा था, 'देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है, उससे देश का कर देने वाला वर्ग वंचित रह जाता है। अत: प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम सात वर्ष का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके, परंतु इसमें अंग्रेज़ी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाए। विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहाँ तक हो सके, किसी उद्योग द्वारा दी जाए, जिससे पढ़ाई का खर्च भी पूरा हो सके। ज़रूरी यह है कि सरकार उन बनाई गई वस्तुओं को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद ले।'

इस प्रकार, गाँधी जी ने मैट्रिक स्तर तक अंग्रेज़ी रहित उद्योग पर आधारित और मातृभाषा द्वारा सात वर्ष की स्वावलम्बी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। सम्मेलन में भाग लेने वाले विद्वानों ने गाँधी जी की योजना पर विचार-विमर्श कर निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए—

1. सम्मेलन की राय है कि राष्ट्र के सभी बच्चों को सात वर्ष तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए।
2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
3. सात वर्ष की संपूर्ण अवधि में शिक्षा का माध्यम बिंदु किसी तरह की हस्तलिपि हो।
4. बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जाए वह केंद्रीय हस्तलिपि से संबंधित हो तथा उसका चुनाव बच्चों के वातावरण को ध्यान में रख कर किया जाए।

वर्धा सम्मेलन में प्रस्तावित इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे डॉ. ज़ाकिर हुसैन समिति के नाम से जाना जाता है। समिति में सभापति के अतिरिक्त नौ सदस्य थे। इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1937 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट मे वर्धा सम्मेलन मे प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन और निरीक्षण कार्य पर प्रकाश डाला गया। दूसरी रिपोर्ट अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की गई, जिसमें आधारभूत हस्त कौशलों से पाठ्यक्रम

के अन्य विषयों का सह-संबंध स्थापित करने पर प्रकाश डाला गया।

समिति की प्रथम रिपोर्ट फ़रवरी 1938 में हरीपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत की गई और इस पर विचार-विमर्श कर इसे स्वीकृत किया गया। यह रिपोर्ट वर्धा शिक्षा योजना व बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है।

बुनियादी (बेसिक शिक्षा) शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत

गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा में मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों और बुनियादी ज़रूरतों का एक बड़ा बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। हमारी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? मोटे तौर पर देखें तो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ प्राय: मूलभूत ज़रूरतों से प्रेरित होती हैं। शेर माँस की तरफ़, छोटे-बड़े पक्षी अनाज के दानों की तरफ़, गाय, घोड़े, बकरी घास के प्रति आकर्षित होते हैं। ये उनकी मूल ज़रूरतें हैं।

एक शांत परिवेश में जहाँ मनुष्य विविध सांसारिक गतिविधियों से अनजान होकर, वहाँ भी वह भूख की मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर, खाद्य पदार्थ देख उसे पाने की कोशिश करेगा। जल स्रोतों की निर्मल धाराएँ जब हमारी प्यास को शांत कर देती हैं उसके बाद ही जल की कल-कल ध्वनि से उपजते संगीत को मानव मस्तिष्क महसूस कर सकेगा। एक प्यासे व्यक्ति को पानी पीये बगैर कल-कल ध्वनि का आनंद उठाने को कहना, उसके साथ अन्याय है। वो न तो ऐसा कर सकेगा, न उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करना उचित है। शैक्षिक गतिविधियों और व्यवस्थाओं में भी मूल प्रवृत्तियों और बुनियादी ज़रूरतों के बेहतर तालमेल की अपनी महत्ता है।

गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा का विचार भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप था। गाँधी जी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के तहत की जाने वाली सभाओं तथा देश भर में किए जाने वाले भ्रमण से भारत की गरीबी को करीब से देखा था। वह जानते थे कि भारत का एक तबका अंग्रेज़ो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्च में सहज नही है। यह वर्ग विद्यालयों में अपने बच्चो की फ़ीस तक दे सकने में असमर्थ है। इन परिस्थितियों में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था पर ज़ोर दिया जिसमें अभिभावकों पर शुल्क का भार न हो। वे जानते थे कि यह भार अभिभावकों में बालकों को शिक्षा से पृथक रखने की मानसिकता को जन्म देगा, क्योंकि जिस वर्ग के प्रति गाँधी जी संवेदनशील थे, उस वर्ग की प्रथम लड़ाई रोज़ी-रोटी की थी। नि:संदेह यह वर्ग विद्यालय का शुल्क जुटा सकने की असमर्थता में अपने बालकों को शिक्षा से दूर कर लेगा।

गाँधी जी ने शिक्षा तथा रोज़गार के मध्य दूरी को भी समाप्त किए जाने की रूपरेखा इस व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत की। उनकी इस योजना में बालक विद्यालयों से केवल सैद्धांतिक ज्ञान लेकर नहीं जाता, बल्कि शिल्प आदि के माध्यम से ऐसे हुनर भी सीख पाता है कि आगे चलकर अपना जीविकोपार्जन कर सके।

बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धांतों के विषय में गाँधी जी ने कहा था, ''यहाँ हम बुनियादी तालीम के खास खास सिद्धांतों पर विचार करें।

1. पूरी शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए। यानी आखिर में पूंजी को छोड़कर अपना सारा खर्च

उसे खुद देना चाहिए।

2. इससे आखिरी दर्जे तक हाथ का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए, यानी विद्यार्थी अपने हाथों से कोई न कोई उद्योग-धन्धा आखिरी दर्जे तक करे।
3. सारी तालीम विद्यार्थियों को उनकी प्रान्तीय भाषा में दी जाए।
4. इसमें साम्प्रदायिकता, धार्मिक शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं होगी, लेकिन बुनियादी नैतिक तालीम के लिए काफी गुंजाइश होगी।
5. यह तालीम, फिर वह बच्चे हों या बड़े, औरतें हों या मर्द, विद्यार्थियों के घरों में पहुँचेगी।
6. चूँकि इस तालीम को पाने वाले लाखों करोड़ों विद्यार्थी अपने आप को सारे हिन्दुस्तान के नागरिक समझेंगे। इसलिए उन्हें एक अन्तर प्रान्तीय भाषा सीखनी होगी। सारे देश की यह एक भाषा नागरी या उर्दू में सीखी जाने वाली हिन्दुस्तानी ही हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों को दोनों लिपियाँ अच्छी तरह सीखनी होंगी।''[3]

बेसिक शिक्षा के उद्देश्य

गाँधी जी ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, अत: उन्होंने शिक्षा द्वारा बालक के शरीर, मन तथा आत्मा के विकास की बात कही थी। बेसिक शिक्षा की उनकी अवधारणा में भी उनकी इस स्वीकृति की पुनरावृत्ति हुई है। उन्होंने बुनियादी शिक्षा के माध्यम से बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल दिया। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते बालक में सामाजिकता के विकास की बात कही और उनके चरित्र निर्माण को प्रमुखता दी। अंग्रेज़ी शासन काल में भारत का उच्च वर्ग पाश्चात्य संस्कृति के मोहपाश में बंधता चला जा रहा था। वास्तव में, वह अपनी स्वयं की सांस्कृतिक विरासत की खूबियों से अनभिज्ञ था। गाँधी जी बालकों में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना भी विकसित करना चाहते थे। इन सबके साथ वह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति बड़े ही संवेदनशील दिखे। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त आर्थिक समस्याओं की अनदेखी न करते हुए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था हमारे सामने रखी जिससे दो स्तरों पर हमारी आर्थिक आवश्यकता पूरी हो सकेगी।

1. छात्र-छात्राओं द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति की जा सकेगी।
2. बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र-छात्राओं को किसी उद्योग द्वारा धनार्जन के योग्य बनाया जा सकेगा।

इस संदर्भ में गाँधी जी का विचार था— ''हमारे जैसे गरीब देश में हाथ की तालीम जारी करने से दो उद्देश्य सिद्ध होंगे। उससे हमारे बालकों की शिक्षा का खर्च निकल आएगा और वे ऐसा धंधा सीख लेंगे, जिसका अगर वे चाहें तो आगे के जीवन में जीविका के लिए सहारा ले सकते हैं। इस पद्धति से हमारे बालक आत्मनिर्भर अवश्य हो जाएँगे। राष्ट्र को कोई चीज़ इतना कमजोर नहीं बनाएगी जितना यह बात कि हम श्रम का तिरस्कार करना सीखें।''[4] गाँधी जी इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा भारत में सर्वोदयी समाज की स्थापना भी करना चाहते थे। उनका मानना था कि इस प्रकार की व्यवस्था के बीच

सभी साधन सम्पन्न हो सकेंगे, सभी एक-दूसरे से प्रेम करेंगे और आपसी यहयोग से एक-दूसरे की उन्नति में सहायक होंगे।

सामाजिक व्यवस्था के किसी भी पक्ष में मानव जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की अनदेखी उचित नहीं है। शिक्षा जैसे मसले को इस मुद्दे से अलग रखना कतई ठीक नहीं है। गाँधी जी ने बुनियादी शिक्षा के माध्यम से यही संदेश देने का कार्य किया।

बेसिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम

महात्मा गाँधी ने जिस बहुउद्देश्यीय शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की थी, उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। आधारभूत शिल्प तथा अन्य आवश्यक विषयों के समायोजन से उन्होंने जिस पाठ्यक्रम को स्वीकृति दी, उसकी रूपरेखा निम्नवत है —

आधारभूत शिल्प — निम्नांकित शिल्पों में से कोई एक कृषि, मिट्टी का काम, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, पुस्तक कला, मछली पालन, फल एवं सब्ज़ी की बागवानी, स्थानीय एवं उपयुक्त एवं शिक्षाप्रद हस्तशिल्प, गृहविज्ञान।

1. मातृभाषा;
2. गणित;
3. सामान्य विज्ञान—प्रकृति अध्ययन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान तथा महान वैज्ञानिकों एवं अन्वेषकों की कहानियाँ;
4. सामाजिक अध्ययन—इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र;
5. कला — संगीत, नृत्य, चित्रकला;
6. हिन्दी — उन प्रदेशों में जहाँ यह मातृभाषा नहीं है; और
7. शारीरिक विज्ञान — व्यायाम एवं खेल-कूद।

बुनियादी विद्यालयों की समय-सारणी

विद्यालयी शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विद्यालय में लागू समय-सारणी का भी है। विभिन्न विषयों का उचित प्रकार से समायोजन करते हुए विषयों की जटिलता व सह-संबद्धता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई समय-सारणी शिक्षण प्रक्रिया में सकारात्मकता उत्पन्न कर पाती है। बुनियादी शिक्षा हेतु निर्धारित समय-सारणी में इन तथ्यों का ध्यान रखा गया था, जिसमें विभिन्न विषयों के साथ हस्तशिल्प व क्राफ़्ट का समायोजन बड़े व्यवस्थित रूप में था।

बेसिक अथवा बुनियादी विद्यालयों की समय-सारणी का प्रारूप

क्र.सं.	विषय	अवधि
1.	बुनियादी शिल्प	3 घंटे 20 मिनट
2	मातृभाषा	40 मिनट
3.	संगीत, चित्रकला एवं अंकगणित	30 मिनट

4.	समाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान	40 मिनट
5.	शारीरिक शिक्षा	10 मिनट
6.	अल्पावकाश	10 मिनट
	कुल समय	5 घंटे 30 मिनट

बुनियादी शिक्षा हेतु शिक्षक

डॉ. ज़ाकिर हुसैन समिति ने इस बात पर बल दिया कि प्राथमिक स्तर पर पुरुषों के बजाए महिलाओं को शिक्षक बनाए जाने पर ज़ोर दिया जाए। इस बात पर भी बल दिया गया कि प्राथमिक शिक्षक कम-से-कम मैट्रिक पास हों, शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त हों। प्रारंभ में बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

1. तीन वर्षीय प्रशिक्षण
2. एक वर्षीय प्रशिक्षण

तीन वर्षीय प्रशिक्षिण उन अभ्यर्थियों के लिए था, जिन्हें प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का कोई अनुभव न हो अथवा तीन वर्षों से कम शिक्षण का अनुभव हो। एक वर्षीय प्रशिक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए था जिन्हें प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव प्राप्त हो।

बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान था, अत: इस पाठ्यक्रम के शिक्षण हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता थी। अत: इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना प्रशंसनीय है। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम को अत्यधिक बल मिला है। गाँधी जी ने वर्षों पूर्व इस प्रकार के प्रशिक्षण की रूपरेखा हमारे सामने रखी जो कि उनकी दूरदृष्टि का परिचायक है।

बेसिक शिक्षा का क्रियान्वयन

वर्धा सम्मेलन की अवधि तक गाँधी देश के लोकप्रिय व सर्वमान्य नेता बन चुके थे। अत: उनकी बातें पूरे देश में गंभीरता के साथ सुनी जाती थीं। बुनियादी शिक्षा संबंधी उनके विचारों को भी गंभीरता से लिया गया और 1938 में बुनियादी शिक्षा योजना उन प्रांतों में लागू कर दी गई, जहाँ कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की स्थापना हो चुकी थी। 1938 में वर्धा में विद्या मंदिर प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया। इसी वर्ष ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, मुंबई और मध्य प्रदेश में इन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हुई और "बेसिक एजुकेशन बोर्ड" का निर्माण हुआ। कुछ पुराने स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदला भी गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानी गई और इसके प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। खेद का विषय है कि इसकी उन्नति उतनी नही हो सकी है जितनी आशा की गई थी।

बुनियादी (बेसिक) शिक्षा की अवधारणा की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता

गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा की धारणा यूँ ही जोश और सिद्धांत के रूप में कही गई बातों का प्रतिफ़ल

नहीं थी। इस विचार की सबसे बड़ी महानता, शिक्षा का प्रकाश देश के जन-जन तक पहुँचा सकने का ध्येय था। गाँधी जी ने इस योजना का सूत्रपात अपने दक्षिण अफ्रीका और भारत में किए गए शिक्षा संबंधी विविध प्रयोगों और उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर किया था। अत: इस व्यवस्था की व्यावहारिक सफ़लता के लिए मन में संशय रखना ठीक नहीं है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। फिर यह प्रगति चाहे प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्च स्तरीय स्तर पर, लेकिन हम आगे बढ़े रहे हैं। हम पहले से बेहतर हैं, यह सोच कर प्रसन्न होने से काम नहीं चलेगा। हम और बेहतर कैसे हों? हम श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कैसे हों? यह लक्ष्य सदैव आँखों के आगे रखना होगा। देश का एक-एक बच्चा देश की अपनी पहचान है। वह आत्मविश्वासी, कर्तव्यनिष्ठ, भला मानस बन सके, इसके प्रयास करते रहने होंगे। इन सारे प्रयासों में एक मुद्दे की अनदेखी खतरनाक होगी, रोज़ी-रोटी की। तमाम तकनीकी ज्ञान, तमाम सिद्धांत, नीति-नियम समझा कर भी यदि प्रारंभिक माँग की अनदेखी शिक्षा द्वारा की गई तो परिणाम सुखद नहीं होंगे। महात्मा गाँधी ने बुनियादी (बेसिक) शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत कर इसी मूलभूत आवश्यकता की तरफ़ हमारा ध्यान आकर्षित किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक विशिष्टताओं के साथ-साथ शिक्षा को मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से जोड़े रखना अति आवश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा गाँवों में निवास करता है। अत: विकास की दृष्टि से किसी भी पहलू की विवेचना में ग्रामीण आवश्यकता की अनदेखी उचित नहीं है। बात जब देश के बच्चों के विकास की हो, उनकी शिक्षा व्यवस्था की हो तो इस वर्ग विशेष की अनदेखी कतई उचित नहीं होगी। महात्मा गाँधी ने भारत देश के मूल में निहित ग्रामीण पृष्ठभूमि की आवश्यकता के अनुरूप बुनियादी (बेसिक) शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी रूपरेखा हमारे सामने रखी थी, जो हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों को, वे गाँवों के रहने वाले हों या शहरों के, हिन्दुस्तान के सभी श्रेष्ठ और स्थायी तत्वों के साथ जोड़ देने की ताकत रखती है।

खेद का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आधुनिकीकरण के तेज़ बहाव के साथ हमने आधुनिक अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर इतना ज़ोर दिया है कि महात्मा गाँधी द्वारा प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था का ढाँचा अंग्रेज़ सरकार द्वारा स्थापित आधार पर ज्यों का त्यों खड़ा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या इस पूर्व नियोजित धुरी पर किए गए हमारे प्रयास हमारा विकास सही दिशा में कर पाए हैं? उत्तर है नहीं! अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था के प्रारूप को ज्यों का त्यों स्वीकार कर हमने अपनी मूलभूत शैक्षिक समस्याओं की अनदेखी की है। बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त बालक-बालिका जिस सैद्धांतिक नीति-नियमों से परिचित हो सके हैं, उनके व्यावहारिक प्रयोग में अनभिज्ञ हैं। उन्हें शिक्षा तो प्रदान की जाती है, किंतु प्रतिफ़ल स्वरूप एक कागज़ पर अंकित श्रेणी ही प्रदान कर पाते हैं। विद्यालयों

से शिक्षित होकर निकला बालक लंबे परिश्रम के बावजूद कोई ऐसा हुनर नहीं सीख पाता, जिससे कि वह अपनी आजीविका कमा सके।

महात्मा गाँधी अंग्रेज़ी शिक्षा व्यवस्था के मूल में निहित इस समस्या से परिचित थे, यही कारण है कि उन्होंने भारत के बालक-बालिकाओं के लिए बुनियादी शिक्षा की वकालत की थी। 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों की रुचि, रुझान, योग्यता व आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्मित इस योजना के पाठ्यक्रम में हस्तकला, कताई-बुनाई, काष्ठ-कला, चर्मकार्य, कृषि, फलों और साग-सब्ज़ी के उद्योग या प्राकृतिक तथा सामाजिक वातातरण के अनुकूल अन्य कोई हस्तकला, जिनका शैक्षिक मूल्य हो, इन सभी को स्थान दिया गया है। लेकिन अन्य प्रमुख विषयों मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, चित्रकला, ड्राइंग, संगीत, हिन्दुस्तानी आदि की महत्ता की भी अनदेखी नहीं की गई है। पाठ्यक्रम का यह व्यवस्थित स्वरूप एक बालक द्वारा सीखे गए सैद्धांतिक ज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता से परिचित कराता है। बालक ने विज्ञान विषय में जिन विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों के बारे में पढ़ा, उन्हें पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष द्वारा छूकर भी देखा, साथ ही उसे बोने, उगाने और बड़ा करने की पद्धति भी सीखी, जिन विविध प्रकार के तंतुओं के बारे में पढ़ा, उनसे दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बनाना भी वे सीख सके। हमारी आज की ज़रूरत भी यही है। ऐसे सभी प्रयास जो कक्षा में सीखे गए ज्ञान को व्यावहारिक रूप दे सकें, हमें अपने पाठ्यक्रम में ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए।

गाँधी जी ने कहा था, ''ओटाई और कताई आदि गांवों में चलने योग्य हाथ- उद्योगों के द्वारा प्राथमिक शिक्षण की मेरी योजना की कल्पना, चुपचाप चलने वाली ऐसी सामाजिक क्रान्ति के रूप में की गई है, जिसके अत्यन्त दूरगामी परिणाम होंगे। वह शहरों और गाँवों में स्वस्थ और नैतिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए सुदृढ़ आधार पेश करेगी और इस तरह मौजूदा सामाजिक भेद और वर्गों के पारस्परिक सम्बन्धों की मौजूदा कटुता की बुराइयाँ बड़ी हद तक दूर होंगी।''[5] ''हाथ का काम इस सारी योजना का केंद्र बिंदु होगा। हाथ की तालीम का मतलब यह नहीं होगा कि विद्यार्थी पाठशाला के संग्रहालय में रखने लायक वस्तुएँ बनाएँ या ऐसे खिलौने बनाएँ जिनका कोई मूल्य न हो, उन्हें ऐसी वस्तुएँ बनानी चाहिए, जो बाज़ार में बेची जा सकें। कारखानों के प्रारंभिक काल में जिस तरह बच्चे मार के भय से काम करते थे, उस तरह हमारे बच्चे यह काम नही करेंगे, बल्कि इसलिए करेंगे कि इससे उन्हें आनंद मिलता है और उनकी बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है।''[6] यहाँ वे इसकी व्यवस्था में ज़रूरी सावधानियों के प्रति भी सचेत रहें। उनका निर्देशन था— ''एक स्कूल में केवल एक ही उद्योग लिया जाए, अधिक नहीं, और दूसरे यह कि एक शिक्षक के पास पच्चीस से अधिक विद्यार्थी न हों। तीसरे यह याद रखें कि फिलहाल हम शहरों को भुला दें। केवल गाँवों का ख्याल करें। वह तो एक महासागर है। गाँवों को जिन उद्योगों की जरूरत है, उन्हीं को लें। उदाहरणार्थ— सुतारी, लुहाड़ी, चमड़ा-कमाई, जूते बनाना आदि। अगर किसी बच्चे को सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो

बाद में इन विषयों का तकनीकी शिक्षण देने वाले कॉलेजों या संस्थानों में वह जा सकता है।''[7]

गाँधी जी द्वारा प्रस्तुत यह विधि बाल मनोविज्ञान पर भी आधारित है। यहाँ बालक को करके सीखने, अनुभव द्वारा सीखने तथा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्राप्त होता है। सभी बालक अपनी रुचियों, रुझानों, योग्यताओं व आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय हस्तकला तथा उद्योग को चुनकर क्रियाशील रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान को इकाई के रूप में प्राप्त करते हैं। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है। इस पद्धति का प्रयोग करते हुए सभी बालक क्रियाशील रहते हैं, उनकी मूल प्रवृत्तियों को प्रकाशन का अवसर मिलता है तथा उनमें रचनात्मकता विकसित होती है। यही इस पद्धति की खूबी है।

बुनियादी शिक्षा का केंद्र बालक हैं जो अपनी निजी क्रियाओं तथा अनुभवों द्वारा अपने आपको वातावरण के अनुकूल बनाकर शिक्षा का वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करते हैं। गाँधी जी ने कहा भी था, ''हमारी शिक्षा में क्रान्ति होने की आवश्यकता है। मस्तिष्क को हाथों द्वारा शिक्षित करना चाहिए। यदि मैं कवि होता तो पाँच उंगलियों में जो शिक्षण शक्ति है उसका गौरव पाता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मस्तिष्क ही सब कुछ है और हाथ-पैरों में कुछ भी शक्ति नहीं है, जो लोग अपने हाथों को शिक्षित नहीं करते और केवल मानसिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में संगीत नहीं होता, उनकी सब शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान द्वारा बच्चों का मन एकाग्र नही हो सकता। शब्द सुनते-सुनते बच्चे थक जाते हैं, और उनका दिमाग इधर-उधर दौड़ने लगता है। उनके आँख-कान और हाथ अपना काम ठीक तौर से नहीं कर पाते हैं। वह शिक्षा जो बच्चों को अच्छे और बुरे का अन्तर नहीं बता सकती, शिक्षा की संज्ञा प्राप्त करने योग्य नहीं है।''[8] गाँधी जी उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ व समाज सुधारक होने के साथ ही एक महान शिक्षाविद् के रूप में भी मान्य हुए। उन्होंने जिस तरह राजनीतिक क्षेत्र में मौलिक विचार व चिंतन दिया उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी बनी-बनाई व्यवस्था से अलग, बालक की मनोवृत्ति, उसकी व भारत देश की ज़रूरत के अनुरूप शैक्षिक व्यवस्थापन के विचार प्रस्तुत किए, इसकी मौलिकता ही इसकी विशेषता है।

गाँधी जी ने बुनियादी शिक्षा के दूरगामी परिणाम भी बताए। नि:संदेह इस व्यवस्था से बुद्धिजीवीगुण अनेक प्रकार के धंधों की शिक्षा पाएँगे, दूसरे लोग लिखना-पढ़ना सीखेंगे। इस तरह धीरे-धीरे वर्ग-भेद समाप्त हो जाएगा। मानसिक स्वाधीनता केवल अध्ययन के माध्यम से ही नहीं, बल्कि उस शिक्षा के माध्यम से भी बनी रहेगी, जिसे गाँधी धंधे के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं। यूरोपीय पद्धति की जो शिक्षा शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि उत्पन्न करती है और जो केवल मस्तिष्क के विकास के लिए ही उद्योगशील है, उसके बदले गाँधी ने एक ऐसी पद्धति चाही है, जिससे सबसे नीचे की श्रेणी से लेकर विद्यालय के सभी छात्र शारीरिक श्रम करना सीखें। अच्छा हो कि फ़ुर्सत के वक्त चरखा कात कर छात्रगण अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं ही जुटा लें, क्योंकि इस प्रकार वे शीघ्रतापूर्वक जीविकोपार्जन कर सकेंगे,

स्वतंत्र हो सकेंगे। इसके अलावा हृदय की शिक्षा नाम की भी एक चीज़ है, जिसकी ओर यूरोप ने बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया। उसको पूरी तरह से तैयार कर लेना होगा।''[9] और छात्रों को तैयार करने के पहले शिक्षकों को तैयार करना होगा। ''नि:संदेह बुनियादी शिक्षा और ग्रामीणों (विशेषकर महिलाओं) के लिए काम करना, गाँधी जी के 'रचनात्मक' प्रयासों की श्रेणी मे आता था।''[10] इनकी उपादेयता आज भी है। ये ठीक है कि औद्योगीकरण, तमाम आधुनिक परिवर्तनों के कारण आज उत्पादन के लगभग हर क्षेत्र में मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। हाथ का काम तथा हाथ से बनी वस्तुओं का चलन बड़ी तेज़ी से घटा है, लेकिन ये भी एक बड़ा सच है कि भारी संख्या में स्कूल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त युवा बेकार खड़े हैं। उनके पास अपनी रोज़ी-रोटी कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में इन बेकार युवकों की शक्ति का सही उपयोग न हो पाना देश की श्रम शक्ति की एक बड़ी हानि है। गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा के प्रारूप (जिसमें समय और माँग के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन अपेक्षित हैं) के अंश यदि हमारी शैक्षिक व्यवस्था में सम्मिलित होते तो ये युवक-युवतियाँ स्वरोज़गार द्वारा रोज़गार हासिल कर सकते थे।

हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि मशीनीकरण के विस्तार, उनसे होते उत्पादन की भारी मात्रा के बावजूद हम मनुष्यों की सृजनात्मकता, हमारी हाथ की हुनरमंदी और कलाकारी का दूसरा कोई जोड़ नहीं है।

बुनियादी शिक्षा मूलत: छोटे बच्चों की शिक्षा से संबंधित व्यवस्था है। अगर ध्यानपूर्वक हम अपने घरों में पल रहे बच्चों को देखें, अपने आस-पास रंग-बिरंगे कागज़-कैंची देखते ही, कैसे वे झट उनकी काट-छाँट में लग जाते हैं। रंगों में उंगली डुबा उनसे आड़ी तिरछी आकृतियाँ बनाने का उनका आनंद ही कुछ और है। गाँधी जी ने उनके इन स्वाभाविक मनोभाव और क्रियाओं को बुनियादी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में जगह दी थी। आज की परिवर्तित परिस्थितियों में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में अगर बुनियादी शिक्षा के आर्थिक संदर्भों को हम स्वीकार करने में हिचके तो भी बच्चों के इस स्वाभाविक मनोभावों और वृत्ति को शिक्षा में स्वीकार कर हम उनकी शिक्षा को रोचक तो बना ही सकते हैं।

ग्रामीण और निर्धन तबके के बच्चों की शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा के आर्थिक संदर्भ आज भी ज्यों के त्यों महत्वपूर्ण हैं। आज भी हिन्दुस्तानी जनता का एक वर्ग अपनी रोज़ की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा न कर पाने के कारण अपने बच्चों को छोटे-मोटे रोज़गार में लगा देता है। आज भी अभिभावकों का एक वर्ग स्कूल को फ़ीस अदा कर सकने की असमर्थता के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता। गाँधी जी द्वारा प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा की व्यवस्थाओं को लागू कर हम उन्हें ज़रूर लाभ पहुँचा सकते हैं। विद्यालयी प्रशासन व प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा का जो बाज़ारीकरण हमारे देश में हुआ है, उसकी एक काट भी इन व्यवस्थाओं में दिखाई देती है।

हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था ने आकार लिया है, उससे वर्ग विशेष की उन्नति हुई है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने वर्ग-भेद को बढ़ावा दिया है। समाज का ऐसा वर्ग जो उच्च शिक्षा का इच्छुक नहीं है, उसे शिक्षा का प्राथमिक व माध्यमिक स्तर रोज़गार के नज़रिये से कुछ दे पाता हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। शिक्षण संस्थाएँ पैसा कमाने का एक बड़ा स्त्रोत बनकर उभरी हैं। इन सबके तमाम नकारात्मक प्रभाव हमारे जन-जीवन पर देखने को मिल रहे हैं। क्या ही बेहतर हो कि बड़े तेज़ कदमों से आगे बढ़ने की फ़िराक में ठोकर खा, ज़मीन पर नीचे गिरने, ज़ख्मी होने के बजाए हम अपनी रफ़्तार को थोड़ा कम करें। बड़ी ऊँची उड़ान भरने के फ़ेर में अपनी जड़ों से, अपने लोगों से दूर बहुत दूर हो जाने से पहले उड़ान थोड़ी धीमी कर लें। भारत गाँवों का देश है, कृषि का देश है, बेहतर यही होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इन्हें भी अपने साथ लेकर चले, तब ही देश की हवाएँ विविध प्रकार की खुशबुओं से सराबोर हो सकेंगी। वातावरण सतरंगी हो सकेगा। सबके हाथों में अक्षर ज्ञान होगा, अंकों की जादूगरी होगी, किताबों की छुवन होगी, सबके पास अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने का हुनर होगा, इसमें रफ़्तार थोड़ी धीमी होगी, लेकिन न्याय होगा। अहिंसक और सर्वोदयी समाज का आकार होगा, खुशी होगी, अपनापन और भाईचारा होगा, यही बुनियादी शिक्षा का सार है और गाँधी जी की दिशा भी।

टिप्पणी

[1]गाँधी जी. 2006. *मेरे सपनों का भारत,* नौवा पुनर्मुद्रण. संग्राहक, आर.के.प्रभु. नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृ. 197.

[2]____. वही____. पृ, 199.

[3]____. वही____. पृ, 200.

[4]*यंग इण्डिया*. 1.9.1921.

[5]*हरिजन*. 9.10.1937.

[6]____. वही____. 11.9.1937.

[7]उपाध्याय हरिभाऊ. 2005. *बापू कथा.* सर्वसेवा संघ, वाराणसी. पृ. 178.

[8]सुमन रामनाथ द्वारा सम्पादित. *शिक्षण और संस्कृति.* 1968. उत्तर प्रदेश गाँधी स्मारक निधि, वाराणसी. पृ. 409.

[9]रोला रोमां. 2009. *महात्मा गाँधी का जीवन और दर्शन.* प्रफुल्ल चन्द्र ओझा द्वारा अनूदित. लोक भारती प्रकाशन, दिल्ली. पृ. 39.

[10]शीन विसेंट. 2006. *गाँधी जी एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी.* हेमेन्द्र द्वारा अनूदित. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नयी दिल्ली. पृ. 168.